

**कार्यालय संयुक्त संचालक, (कौशल विकास)  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, सागर क्षेत्र सागर (म.प्र.)**

**:: विज्ञप्ति ::**

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सागर सम्भाग में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले माइयूल्स के लिए मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। आयु सीमा 01/10/2017 को 18 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मेहमान प्रवक्ताओं को यदि एक माह से कम समय के लिए रखा गया है-75/- प्रति घण्टा (अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन), एक माह में रु.-14000/- (अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन) के मान से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा माइयूल्स के नाम एवं रिक्त स्थानों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.mpskills.gov.in](http://www.mpskills.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी पात्र एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्र में दिनांक-14.09.17 शाम 5.30 बजे तक जमा कर सकते हैं।

**संयुक्त संचालक (कौशल विकास)  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, सागर क्षेत्र  
सागर (म.प्र.)**

**जी-16873/017**

सागर संभाग की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री कौशलया योजना हेतु मेहमान प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की जानकारी सितम्बर 2017

क्र.सं.	संस्था का नाम	माड्यूल का नाम	रिक्त पद	अना0	अजा	अजजा	अपिव	कुल संख्या
1	महिला औप्रसं सागर	पिकल मेकिंग टैक्नीशियन	01	01 (महिला)	00	00	00	01
	कुल योग		01	01	00	00	00	01
2	औप्रसं बीना	डोमेस्टिक डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर	01	00	00	01	00	01
	कुल योग		01	00	00	01	00	01
3	औप्रसं रहली	असि इलेक्ट्रीशियन	01	01	00	00	00	01
	कुल योग		01	01	00	00	00	01
4	औप्रसं छतरपुर	सिक्यूरिटी सेक्टर	01	00	01	00	00	01
	कुल योग		01	00	01	00	00	01
5	औप्रसं बड़ा मलहरा	डोमेस्टिक डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर	01	01 (महिला)	00	00	00	01
		मेनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग	01	00	00	00	01	01
	कुल योग		02	01	00	00	01	02
6	औप्रसं पन्ना	सिक्यूरिटी सेक्टर	01	01	00	00	00	01
	कुल योग		01	01	00	00	00	01
7	औप्रसं पटेरा	असि इलेक्ट्रीशियन	01	00	00	01	00	01
	कुल योग		01	00	00	01	00	01
	महायोग		08	04	01	02	01	08

  
 सयुक्त संचालक  
 कौशल विकास  
 सागर क्षेत्र सागर (म.प्र.)

सागर संभाग की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अन्तर्गत संचालित माड्यूल्स में मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबद

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सागर संभाग में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले माड्यूल्स के लिए मेहमान प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित किये जाने वाले पदों के लिये आवेदक को सेक्टर स्किल काउंसिल से सम्बन्धित क्यूपी के लिए प्रमाणित होना चाहिए अथवा आवेदक को अपने व्यय पर एस०एस०सी० के टी०ओ०टी० प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक आवेदक जो १०प्र० के निवासी हैं अपने आवेदन पत्र शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र, निवासप्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति के साथ सम्बन्धित केन्द्र में दिनांक-14.09.17 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञप्ति संचालनालय कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट-[www.mpskills.gov.in](http://www.mpskills.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

आवेदन करने हेतु आवश्यक जानकारियाँ :-

1. योग्यता-- मेहमान प्रवक्ता हेतु निम्न योग्यताएँ अनिवार्य हैं -

1. प्रशिक्षक सम्बन्धित क्यूपी (क्वालिफिकेशन पैक) में एसएससी प्रमाणित होना चाहिए

अथवा

2. एसएससी प्रमाणित न होने की स्थिति में परिशिष्ट-एक के अनुसार क्यूपी वाइज निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव की पूर्णता आवेदन की पात्रता होगी, परन्तु-

शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शार्टलिस्ट होने के पश्चात् आवेदक को सम्बन्धित सेक्टर की सेक्टर स्किल काउंसिल की टी०ओ०टी० स्वयं के व्यय पर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3. न्यूनतम/अधिकतम आयुसीमा :-

दिनांक-01.10.17 को मेहमान प्रवक्ता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष होना चाहिए।

4. अवधि :-

मेहमान प्रवक्ता नियुक्त किये जाने की अवधि संचालनालय कौशल विकास मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-संकौवि/योजनाएँ/2017/4250, दिनांक-29.08.17 के अनुसार सम्बन्धित एसएससी की क्यूपी के पाठ्यक्रम पूर्ण करने की निर्धारित प्रशिक्षण अवधि होगा। सेवा अवधि योजनाओं के सम्बन्धित सेक्टर में प्रशिक्षण के लक्ष्य पूर्ण होने तक आगे के बैचों के लिए बढ़ाई जा सकती है। संबंधित माड्यूल के प्रशिक्षण अधिकारी पद की पूर्ति नियुक्ति, स्थानांतरण अथवा पदोन्नति से पूर्ति होने की स्थिति में मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया :- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशलता योजना के लिए प्रशिक्षकों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट बनाते समय 100 अंक की गणना निम्नानुसार होगी :-
  1. सम्बन्धित सेक्टर स्किल्स काउन्सिल द्वारा क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी)/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/पात्रता के प्राप्तांकों को 70 अंक के हिसाब से स्कोरिंग मान्य किया जावेगा।
  2. सम्बन्धित सेक्टर/ट्रेड/क्यूपी (क्वालिफिकेशन पैक) में प्रशिक्षण का अनुभव या उत्पादन इकाई में सम्बन्धित सेक्टर कार्य का अनुभव (कुल 20 अंक) प्रत्येक वर्ष के लिए 04 अंक, अधिकतम 20 अंक अनुभव को दिए जावेंगे। छः माह से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा और छः माह से अधिक अवधि के लिए पूर्ण अंक दिए जावेंगे।
  3. सम्बन्धित सेक्टर का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) प्रमाणपत्र प्राप्त-10 अंक

टीप- महिला एवं नि:शक्तजनों का होरीजेन्टल आरक्षण है, संबंधित आवेदक उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित वर्टिकल श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों को मेहमान प्रवक्ता हेतु आमंत्रित किया जावेगा


#### 6. मानदेय का भुगतान :-

मेहमान प्रवक्ताओं को यदि एक माह से कम समय के लिए रखा गया है, तो 75/- प्रति घण्टा (08 घण्टे अधिकतम प्रतिदिन) एवं माह माह में रू0-14000/- ((08 घण्टे अधिकतम) के मान से भुगतान किया जावेगा।

#### 7. अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

चयनित मेहमान प्रवक्ता का प्रशिक्षण कार्य/आचरण संतोषप्रद न होने पर संस्था प्रमुख द्वारा कर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

8. पदों की जानकारी परिशिष्ट-दो पर देखें
9. मेहमान प्रवक्ताओं की संख्या में संस्था की आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

  
 संयुक्त संयोजक  
 कौशल विकास  
 राज्य सरकार (न.प्र.)



## आवेदन पत्र का प्रारूप

सेक्टर का नाम :- .....  
 क्यूपी का नाम:- .....  
 आईटीआई/कौशल विकास केन्द्र का नाम.....जिला.....  
 (जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है)

आवेदक यहाँ अपनी पासपोर्ट साइजफोटो स्वयं हस्ताक्षरित कर चस्पा करें।

प्रति,

प्राचार्य/संस्था प्रमुख,  
 आदर्श/ महिला /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,  
 ..... (जिला-.....) म.प्र.

- 1: नाम: (आवेदक): .....
- 2: पिता/पति का नाम: .....
- 3: जन्मतिथि:(प्रमाणपत्रसंलग्नकरें) अंको में : / / शब्दों में .....
- 4: जाति:(जो लामू हो उसे टिक ✓करें) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग
- 5: पत्र व्यवहार का वर्तमान पता: .....
- 6: दूरभाष क्रमांक निवास: .....मोबाइल नम्बर.....
- 7: ई-मेल - .....
- 8: शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता:

स. क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	प्रमाणपत्र क्रमांक
01						
02						
03						

9: यदि संबंधित क्यूपी में एसएससी प्रमाणित है तो निम्नानुसार जानकारी दें-

स. क्र.	सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम एवं पता	क्यूपी का नाम जिसमें प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो	टीओटी प्राप्त करने की अवधि		संस्थान का नाम जहां से टीओटी प्राप्त किया	रिमार्क
			कब से	कब तक		
01						
02						
03						

10. अनुभव :-

स. क्र.	आईटीआई/संस्थान का नाम एवं पता जहाँ कार्यरत रहें	पद का नाम जिस पर कार्यरत रहे	कब से	कब तक	प्राप्त वेतन प्रतिमाह
01					
02					
03					

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही / सत्य है,यदि उपरोक्त कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि मेहमान प्रवक्ता के लिए मेरा चयन होता है तो मैं स्वयं के व्यय पर संबंधित सेक्टर की क्यूपी में टीओटी उत्तीर्ण करूँगा/करूँगी।

संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची:

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर

(नोट- कौशल विकास केन्द्रों के आवेदन पत्र जिला स्थित आईटीआई में जमा किये जायें)

## अनुभव प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....  
 आत्मज/पति/आत्मजा श्री.....आयु.....वर्ष.....मेरे  
 संस्थान जो कि.....द्वारा पंजीकृत है अथवा.....  
 .....से संबद्ध है, मैं पूर्णकालिक रोजगार में.....  
 ...पद पर दिनांक .....से .....तक वेतनमान रु0 .....  
 .....में कार्यरत है, वर्तमान में इनका वेतन रु0 .....प्रतिमाह है। मेरे  
 संस्थान का पंजीयन क्रमांक.....जीएसटी नं.....तथा इन्कम  
 टेक्स क्रमांक..... है। श्री .....को इनकी नियुक्ति दिनांक से समस्त  
 सेवा अवधि में भुगतान किये गये वेतन तथा भत्तों के अभिलेख संस्थान में उपलब्ध हैं।

स्थान : .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर (पदनाम/ सील सहित)

दूरभाष/मोबाइल नम्बर: .....